राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः राम/प–2/1/4/रातस/तह.कार्यव्यवस्थार्थ/2021–22/ 1723 दिनांकः 20/01/2022

–: आदेश :–

संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) जयपुर, के पत्र क्रमांक प.2(37)राज–1/2018 पार्ट दिनांक 24.11.21 एवं क्रमांक प.2(19)राज–1/2017 दिनांक 20.12.21 के क्रम में राजकार्यों के समय पर निष्पादन के दृष्टिगत नायब तहसीलदार को तहसीलदार के रिक्त पदों पर कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापित किये जाने हेतु स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 31.12.2021 को आयोजित की गई।

स्क्रीनिंग कमेटी के आयोजन के समय श्री आकाश शर्मा एवं श्री नरेन्द्र चौहान नायब तहसीलदारों की विभागीय जांच/दण्ड इत्यादि की सूचना अप्राप्त होने एवं उप–निबंधक (जांच) राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा श्री प्रेम सिंह नायब तहसीलदार के विरूद्ध 17/16.09.2020 की जांच दर्शाये जाने के कारण इनके कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार के रिक्त पद पर पदस्थापन हेतु उपयुक्त पाये जाने सम्बधी आदेश जारी नहीं किये गये।

उप–निबंधक (जांच) राजस्व मण्डल से प्राप्त सूचना दिनांक 13.01.2022 के अनुसार श्री आकाश शर्मा एवं श्री नरेन्द्र चौहान नायब तहसीलदारों की विभागीय जांच/दण्ड इत्यादि की सूचना प्राप्त हो चुकी है। साथ ही श्री प्रेम सिंह नायब तहसीलदार के विरूद्ध दर्शाये गयी जांच के सम्बंध में प्रेषित संशोधित सूचना अनुसार इनके विरूद्ध वर्तमान में कोई जांच विचाराधीन है।

स्क्रीनिंग कमेटी ने जिन नायब तहसीलदारों की सूचना अप्राप्त है, के क्रम में इनकी सूचना प्राप्त होने एवं प्राप्त सूचना में कोई प्रतिकुल/विपरीत टिप्पणी नहीं होने की शर्त पर इनको कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार के पद पर पदस्थापन हेतु उपयुक्त पाये जाने की सिफारिश की है। साथ ही श्री प्रेम सिंह के वर्तमान में कोई जांच विचाराधीन नहीं होने के कारण निम्नांकित नायब तहसीलदारों को कार्यव्यवस्थार्थ स्वयं की वेतन श्रृंखला (पातेय वेतन) में तहसीलदार के रिक्त पदों पर कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापित किये जाने हेतु उपयुक्त पाया जाता है :–

S.NO.	ELG. NO.	Employee	DOB
1	11	AKASH SHARMA	05-04-90
2	248	NARENDRA CHAUHAN	18-08-91
3	296	PREM SINGH	13-08-62

उक्त कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन निम्न शर्तो के अध्ययधीन रहेगा :–

1– दिनांक 31.12.21 को आयोजित स्क्रीनिंग समिति द्वारा उक्त नायब तहसीलदारों एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों की प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर केवल कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार के पद पर पदस्थापन हेतु स्क्रीनिंग की गयी है। स्क्रीनिंग समिति की रिपोर्ट केवल और केवल मात्र उक्त नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के एक बार (One Time) कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन हेतु उपयोगी होगी इसका अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग नहीं दिया जायेगा और इसके आधार पर कोई भी नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी किसी भी भांति के अनुभव, पदोन्नति एवं वित्तीय परिलाभ का न तो हकदार होगा और नहीं किसी हक का दावा/मांग किसी भी न्यायालय/ अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/ विभाग के समक्ष करेगा।

2– उक्त स्क्रीनिंग समिति की रिपोर्ट के आधार पर केवल कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार के पद पर पदस्थापित नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन की कार्यावधि के आधार पर किसी भी प्रकार की पदीय वरिष्ठता के हकदार नहीं होंगे तथा उक्त कार्यावधि के आधार पर प्राप्त किसी अनुभव का पदोन्नति या वरिष्ठता में शुमार नहीं किया जायेगा। ना ही कोई नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी इस आधार पर वरिष्ठता या पदोन्नति का दावा /मांग करेगा।

3– स्क्रीनिंग समिति की रिपोर्ट केवल और केवल मात्र कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन है इसे किसी भी रूप में तदर्थ अथवा नियमित पदोन्नति की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। न तो कोई नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी उक्त आधार पर किसी तदर्थ या नियमित पदोन्नति का हकदार होगा और ना ही वह ऐसे किसी हक का दावा या मांग भविष्य मे किसी भी न्यायालय , अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/विभाग के समक्ष पेश करेगा।

Scanned with CamScanner

4– उक्त नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मूल रूप से नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ही बने रहेगे तथा नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को प्राप्त वेतन भत्तों के अतिरिक्त अन्य वित्तीय परिलाभ के न तो हकदार होंगे और न ही किसी हक का दावा या मांग भविष्य मे किसी भी न्यायालय , अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/विभाग के समक्ष पेश करेगा।

5– स्क्रीनिंग समिति की उक्त रिपोर्ट/अभिशंषा को प्रशासनिक आधार पर किसी भी समय प्रत्याहरित किया जा सकेगा और नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को उनके मूल पद पर पुनः पदस्थापित किया जा सकेगा। कोई भी नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी इस संदर्भ में लिये गये किसी निर्णय को किसी भी न्यायालय , अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/विभाग के समक्ष चुनौती नहीं देगा।

6– स्क्रीनिंग समिति की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार पद पर कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन का यह आदेश सभी पात्र नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को स्वीकार्य होगा तथा कोई भी पात्र नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी इस आदेश को किसी भी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्रशासनिक विभाग /संस्था के समक्ष चुनौती नहीं देगा।

7– उक्त नायब तहसीलदारों एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को वेतन तहसीलदार के रिक्त पद के विरूद्ध इनके स्वयं की वेतन श्रृंखला (पातेय वेतन) में नियमानुसार इनके एलपीसी के आधार पर आहरित किया जायेगा। इन नायब तहसीलदारों एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार के पद पर पदस्थापन हो जाने से नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद को रिक्त माना जायेगा।

8– उक्त नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी यदि कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार के पद पर कार्य नहीं करना चाहते है, तो वे अपना लिखित अभ्यावेदन मय विस्तृत कारण उचित माध्यम सम्बंधित जिला कलक्टर /कार्यालयाध्यक्ष राजस्व मण्डल में भिजवायेंगे एक बार कार्यग्रहण में असमर्थता जाहिर करने पर पुनः कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन पर विचार नहीं किया जायेगा।

9– स्क्रीनिंग समिति द्वारा राजस्व मण्डल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर स्क्रीनिंग की गयी है। फिर भी यदि किसी नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के विरूद्ध स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 31.12.2021 तक कोई विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण अथवा दण्ड होने की जानकारी विभाग के संज्ञान में आती है, जिससे वह पात्रता की श्रेणी से बाहर हो जाता है तो उसे तुरंत प्रभाव से कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन से हटा कर मूल पद पर पदस्थापित किया जायेगा तथा यदि किसी नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के सम्बंध में उपलब्ध अभिलेख के आधार गलत /मिथ्या जानकारी के कारण उसे कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार पद पर पदस्थापन हेतु विचारित नहीं किया गया हो, तो उसके संदर्भ में विभागीय तथ्यों से वास्तविक वस्तुस्थिति स्पष्ट होने पर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत उसकी पात्रता बाबत विचार किया जा सकेगा।

आदेशानुसार,

20/1/2022

(डॉ. मोहन लाल यादव)
निबन्धक,
राजस्व मण्डल राज.,अजमेर

क्रमांकः सम/ 1724–90

दिनांकः 20/01/2022

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– निजी सचिव मा. अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज.,अजमेर ।
2– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग जयपुर।
3– विशिष्ठ सहायक, मा. राजस्व मंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
4– संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान, जयपुर ।
4– आयुक्त, भू–प्रबंध विभाग राजस्थान, जयपुर ।
5– आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर ।
6– संभागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।
7– जिला कलेक्टर (समस्त) राजस्थान।
8– प्रभारी अधिकारी (गोपनीय/वि.जांच/प्रशासन/कंप्यूटर्स)राजस्व मण्डल राज.,अजमेर।
9– ....
10– सम्बंधित.....................
11– आदेश पंजिका/ निजी पत्रावली ।

(भंवर सिंह सान्दू)
अतिरिक्त निबन्धक (रातस)
राजस्व मण्डल राज.,अजमेर

Scanned with CamScanner